भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 21

सोमवार, 02 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के अंतर्गत औषधालयों को कार्यशील किए जाने में विलंब

†*21. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के अंतर्गत 17 औषधालय खोलने के लिए "सैद्धांतिक" स्वीकृति प्रदान किए जाने के बावजूद उक्त औषधालयों को अभी तक कार्यशील नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा और गैर-चिकित्सा पदों को मंजूरी न दिए जाने के कारण विलंब हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा उक्त पदों की शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि आंध्र प्रदेश में औद्योगिक कामगारों और उनके परिवारों के लाभ के लिए काफी समय से लंबित ईएसआईएस औषधालयों को कार्यशील किया जा सके?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* *****

“कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के अंतर्गत औषधालयों को कार्यशील किए जाने में विलंब” के संबंध में श्री मड्डीला गुरूमूर्ति द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 21 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), संबंधित राज्य सरकार की सहमति से नए औषधालय खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। ईएसआई अधिनियम, 1948 (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाविष्ट) की धारा 58 के अंतर्गत, ईएसआईसी बुनियादी ढांचा और मौद्रिक सहायता प्रदान करता है, जबकि औषधालयों का संचालन और प्रबंधन संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

ईएसआईसी ने 2016 से 2021 तक की अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश में कुल 17 औषधालयों (5-एक चिकित्सक औषधालय, 7-दो चिकित्सक औषधालय, 3-तीन चिकित्सक औषधालय और 2-पांच चिकित्सक औषधालय) स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है। इन औषधालयों को कार्यशील बनाने के लिए प्रमुख कदमों में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा और गैर-चिकित्सा पदों की मंजूरी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्थानों का प्रावधान शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने तिरुपति जिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी), सत्यवेदु, वरदैयापलेम, नायडूपेटा में स्थित एक-एक औषधालय और नेल्लोर जिले के मुथुकुरु में एक औषधालय अर्थात 5 औषधालयों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र चालू करने के लिए मेडिकल, पैरा-मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को मंजूरी दी है। इसके अलावा, शेष 12 औषधालयों में स्टाफ को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
